

कार्यालय आदेश सं. 37/2016

महाप्रबन्धक(कार्मिक) गोरखपुर के कार्यालय आदेश सं. 08, प. सं. का/210/10-2/जेएजी(1)भाग-III गोरखपुर दिनांक 08.01.2016 द्वारा डॉ एस.के.शर्मा, वमचिधि(एसजी)/ मण्डल चिकित्सालय,पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर डी.एल.डब्लू./वाराणसी किया गया है, को तत्काल प्रभाव से विरमित किया जाता है।

उपरोक्त पर मरेप्र महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

मण्डल कार्मिक अधिकारी
वाराणसी
दिनांक 13.01.2016


सं. का/191/राज/चि./डॉ एस.के.शर्मा

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. सचिव, महाप्रबंधक/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
2. वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
3. महाप्रबन्धक(कार्मिक)/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
4. विसमुलेधि/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
5. उप मुकाधि(राज.)/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मंडल चिकित्सालय/वाराणसी
7. चिकित्सा निदेशक, कैंसर संस्थान/वाराणसी।
8. मरेप्र/अमरेप्र/वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर।
9. वमविप्र/वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर।
10. वमकाधि/वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर।
11. सभी शाखाधिकारी/वाराणसी मण्डल।
12. मंडल मंत्री/नरमू एवं अजा-अजजा एसो.।
13. सम्बन्धित अधिकारी।

अतिरिक्त प्रति लिपि-

मुचिनि/मुख्य स्वास्थ्य निदेशक/गोरखपुर।


कृते मण्डल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
वाराणसी